

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 15(14) 2024 / गोप्र / प्रमुवसं-09963

--:: कार्यालय-आदेश ::--

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (Defer) की बैठक दिनांक 15.07.2024 की अभिशंषानुसार निम्नांकित वनपालों को वर्ष 2023-24 में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार दिनांक से क्षेत्रीय वन अधिकारी- द्वितीय के रिक्त पद के विरुद्ध चयन किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स के पे-लेवल एल-10 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम लोकसेवक (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि	विशेष विवरण
1.	रामनिवास मीणा	भूरा सिंह	एस.टी.	01.04.2023	
2.	संजय कुमार मीणा	किशन लाल	एस.टी.	01.04.2023	
3.	भैरू लाल मेघवाल	उमाराम	एस.सी.	01.04.2023	
4.	मोहन लाल सैनी	रामपाल माली		01.04.2023	
5.	रामहंस	शिवराम सिंह		01.04.2023	
6.	राकेश कुमार	प्रभु दयाल मीणा	एस.टी.	01.04.2023	
7.	रविन्द्र सिंह	नारायण सिंह		01.04.2023	
8.	यशपाल सिंह चौहान	नारायण सिंह चौहान		01.04.2023	
9.	योगेन्द्र सिंह	प्रेम सिंह		01.04.2023	
10.	अविनाश भारद्वाज	महेश चन्द भारद्वाज		01.04.2023	
11.	परमानन्द गोचर	रामदेव गोचर		01.04.2023	
12.	हसरंज यादव	बुद्धाराम		01.04.2023	
13.	सतीश सिंह	प्रेम सिंह		01.04.2023	
14.	राजूराम मेघवाल	चुतराराम	एस.सी.	01.04.2023	
15.	रूपेश कुमार भाट	हरिनारायण ब्रह्मट्ट		01.04.2023	
16.	मोहन लाल	घनश्यामदास		01.04.2023	
17.	सत्यवीर सिंह चन्द्रावत	तेजराज सिंह		01.04.2023	
18.	विक्रम जलन्धर	कालूराम	एस.सी.	01.04.2023	
19.	विशन सिंह राजपुरोहित	नरेन्द्र सिंह		01.04.2023	
20.	बाबू लाल बागोरिया	मुरलीधर	एस.सी.	01.06.2023	30.6.2023 को सेवानिवृत्त
21.	छगन लाल रैगर	नन्दाराम रैगर	एस.सी.	01.07.2023	30.6.2023 को सेवानिवृत्त
22.	चौथमल धोबी	राम सहाय	एस.सी.	01.09.2023	
23.	महेन्द्र कुमार	लच्छा राम	एस.सी.	01.10.2023	

उक्त पदोन्नति आदेश निम्न शर्तों/प्रावधानों के अधीन रहेंगे :-

1. चयनित कार्मिकों में से सेवानिवृत्त, स्वेच्छिक सेवानिवृत्त, मृतक के अतिरिक्त पदोन्नत समस्त कार्मिक पदोन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही यथावत कार्यरत रहते हुए पदोन्नत पद की कार्य-ग्रहण की रिपोर्ट अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से दिनांक 25.07.2024 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। चयनित लोकसेवक को क्षेत्रीय वन अधिकारी-द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिनांक से वेतन का काल्पनिक लाभ तथा नवीन पद पर कार्यग्रहण संभालने की दिनांक से वेतन का नगद लाभ देय होगा।
2. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हो, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसकी उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और **उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किन्तु वह तीन पश्चात्पूर्ति वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।**
अतः संबंधित कार्यालयाध्यक्ष कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत लोकसेवक का उत्पन्न संतानों के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त कर इनका वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।
3. श्री लल्लू राम मीणा ने अपना अचल सम्पत्ति विवरण कार्मिक विभाग में ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने पर इनके पृथक से पदोन्नति आदेश जारी किये जायेंगे।

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 15(14) 2024/गोप्र/प्रमुवसं-09963

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री, राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP राजस्थान, जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
8. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर/मुकन्दरा (कोटा)।
9. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
10. उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी/ भू-संरक्षण अधिकारी।
11. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।
12. संबंधित लोकसेवक.....।
13. रक्षित पत्रावली/कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
8982155

Document certified by ARIJIT
BANERJEE <ariban@gmail.com>.

Digitally Signed by ARIJIT
BANERJEE
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date :16-07-2024 06:23:57